न्यायालय–न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय दौसा, जिला दौसा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी–पुलकित शर्मा, आर.जे.एस.
(UID No. RJ01446)
नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–359/2021(2840/2021)
(CIS No. 2840/2021)

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान

बनाम

बाबूलाल पुत्र श्री जयनारायण उम्र 40 वर्ष निवासी–भगलाई, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान। **–– अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451 भारतीय दंड संहिता

उपस्थिति:–

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से
02.श्री हाकिम सिंह गुर्जर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से

निर्णय **दिनांक: 29.06.2026**

1– हस्तगत प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 207/2021 में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश होने पर दिनांक 22.09.2021 को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाने से हुआ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी मदनलाल द्वारा तहरीर रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि सुनिता देवी उसकी पत्नी है। दिनांक 08.07.2021 को समय करीब 07.00 ए एम के लगभग उसकी बेटी खुशबू उम्र 12 वर्ष ने जरिये मोबाईल से फोन करके बताया कि बाबूलाल ने मम्मी सुनिता देवी का घर आकर सिर फोड़ दिया है। उसने भी कॉल करके कैलाश को हॉस्पिटल ले जाने के लिये बोला तो कैलाश ने कहा कि वह घर पर नहीं है और उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे बाद में उसके पुत्र अंकित ने 108 एंबुलेंस को फोन करके घर पर बुलाया तथा सुनीता देवी को सरकारी हॉस्पिटल दौसा में भर्ती कराया। यह झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ.......इत्यादि।

3– उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 207/2021 अंतर्गत धारा 323, 452 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुयी जिस पर बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा द्वारा आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता का प्रसंज्ञान दिनांक 22.09.2021 को लिया गया।

4– दिनांक 22.09.2021 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार अन्वीक्षा चाही। अभियुक्त को उक्त अपराध धाराओं

का अपराध सारांश सुनाया गया तब अभियुक्त उक्त अपराध धाराओं के आरोप सारांश के भुलावे में भी नहीं रहे है।

5– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षी परिक्षित करवाये गये।

क्रम संख्या	नाम
पीडब्ल्यू–1	सुनीता
पीडब्ल्यू–2	खुशबू
पीडब्ल्यू–3	मदनलाल
पीडब्ल्यू–4	मनोज कुमार शर्मा
पीडब्ल्यू–5	अंकित कुमार
पीडब्ल्यू–6	मानप्रकाश
पीडब्ल्यू–7	महादेव सिंह

साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

दस्तावेजी विवरण	प्रदर्श
चोट प्रतिवेदन आहता सुनीता	प्रदर्श पी–1
नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–2
तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी–3
चाक एफ आई आर	प्रदर्श पी–4
आहता सुनीता द्वारा स्वयं का एक्स रे नहीं करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी–5

6- बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई दस्तावेजी साक्ष्य को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है-

7– अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

8– बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क प्रस्तुत किये है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने मे सफल रहा है। अभियोजन अधिकारी की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत अप्पा भाई व अन्य बनाम गुजरात राज्य ए आई आर 1988 एस सी 696 को पेश किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

9– अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दौराने मौखिक बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष के साथ उनके घर में घुसकर

कोई मारपीट नहीं की गयी है, अपितु परिवादी पक्ष ने ही अभियुक्त के साथ मारपीट की है। परिवादी पक्ष ने तथ्यों को तोड़मरोड़ मिथ्या कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने भी अपनी साक्ष्य से मामले को पूर्णतय साबित नहीं किया है। ऐसे में अभियोजन की कहानी संदेह से परे प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं हुयी है। अभियुक्त को झूंठा फंसाया है। अन्त में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– प्रकरण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

"आया दिनांक 08.07.2021 को लगभग 07.00 ए एम बजे जब परिवादी मदनलाल की पत्नी सुनीता देवी अपने भगलाई गाँव स्थित घर पर थी तो आपने परिवादी मदनलाल के घर पर मारपीट करने के आशय से आपराधिक गृह अतिचार कर परिवादी की पत्नी सुनीता को स्वेच्छा रोक सदोष अवरोध कारित किया व सुनीता के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर परिवादी के साधारण उपहति कारित की"?

02. यदि हाँ , तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?

11– विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 08.07.2021 को सुबह लगभग 07.00 बजे ग्राम भगलाई में परिवादी मदनलाल की पत्नी सुनीता के साथ अभियुक्त बाबूलाल द्वारा उसके घर में घुसकर सुनीता के साथ मारपीट कर सुनीता के सिर पर चोटें कारित करना, जिस घटना की सूचना परिवादी को उसकी पुत्री खुशबू द्वारा जरिये मोबाईल दिया जाना आया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में सर्वप्रथम आहता सुनीता व उसकी पुत्री खुशबू की मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करे तो आहता सुनीता को अभियोजन की ओर से प्रकरण में पी डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वयं के साथ अपनी बेटी खुशबू व बेटे अंकित का घर पर होना व अपने पति का जोधपुर होना बताया है व सुबह सात बजे के लगभग उसका जेठ बाबूलाल का उसके घर पर आना तथा बिना कारण ही उसके सिर पर फूंकनी की मारना व एक फूंकनी कंधे पर व एक जांघ पर मारना बताया है तथा उसके बच्चे अंकित, बच्ची खुशबू द्वारा बीच बचाव कराया जाना तथा घटना की सूचना उसकी बेटी खुशबू द्वारा उसके पति को दी जाना बताया है व बेटे अंकित द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलाया जाना बताया है। गवाह ने अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना होना जो प्रदर्श पी 01 होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि झगड़ा मकान के अंदर हुआ था। गवाह ने आगे यह भी कथन किया

है कि झगड़ा हुआ था तब उसव उसकी बेटी का कमरे में होना व बेटे का बाहर हॉल में होना बताया है व मारपीट फूंकनी से की जाना बताया है।

12– चूंकि साक्षी पी डब्ल्यू 01 सुनीता ने अपनी साक्ष्य में अपनी पुत्री खुशबू व पुत्र अंकित द्वारा उसका बीच–बचाव करना बताया है, जो अभियोजन की ओर से खुशबू पी डब्ल्यू 02 व अंकित पी डब्ल्यू 05 के रूप में परीक्षित कराया है, जिनमें से साक्षी पी डब्ल्यू 02 खूशबू ने अपनी मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी डब्ल्यू 01 सुनीता द्वारा मौखिक साक्ष्य में कहे गये कथनों की ताईद करते हुये सुसंगत दिनांक 08.07.2021 को सुबह 07.00 बजे स्वयं के साथ उसका भाई अंकित व मम्मी का घर पर होना व पिताजी का जोधपुर होना जहां मजदूरी करना बताया है व गवाह ने अपनी साक्ष्य में आगे यह कथन किया है कि उस समय उसका ताउ बाबूलाल वहां आया और उसने फूंकनी से उसकी मम्मी के सिर पर मारी तथा जांघ और कंधे पर भी फूकनी की मारी तथ उसके भाई व उसने स्वयं ने बीच बचाव कराया। उसकी मम्मी के सिर पर खून थे व उसके भाई ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया जिसमें बिठाकर मम्मी को जिला अस्पताल दौसा लेकर आये जहां उसकी मम्मी के सिर में टांके लगे थे। उक्त साक्षी ने इस घटना के बारे में अपने पिता को फोन से सूचना दी जाना भी कथित किया है। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में भी उक्त साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों पर स्थिर रही है व कथन किया है कि झगड़ा अंदर कमरे में हुआ था। मारपीट लोहे की फूंकनी से की थी।

13– इस क्रम में अन्य साक्षी अंकित पी डब्ल्यू 05 की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये उक्त साक्षी ने भी अपनी साक्ष्य में उसकी मम्मी सुनीता देवी का हैण्डपंप से पानी लेकर घर आना व उसके ताउजी, बाबूलाल, ताइजी मीरा देवी और उनके लड़के दिलखुश का वहां आना व तीनों द्वारा उसकी मम्मी के साथ मारपीट करना व ताउजी बाबूलाल द्वारा लोहे की फूंकनी से उसकी मम्मी का सिर फोड़ना बताया है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस को फोन करके सूचना दी थी, तब पुलिस वाले एंबुलेंस के साथ उनके घर आए और उसकी मम्मी को दौसा सरकारी अस्पताल लेकर आए। उक्त गवाह ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में यह कथन किया है कि झगड़ा मकान के अंदर हुआ था तथा झगड़ा हुआ था तब वह बाहर हॉल में था। वह अंदर जाने लगा तो उसके ताउ के लड़के ने उसे बाहर रोक लिया और मम्मी चिल्ला रही थी। वह अंदर उसकी मम्मी के पास दो–पाँच मिनट बाद गया था। वह अंदर गया तब उसकी मम्मी के सिर से खून बह रहा था और सिर फूट हुआ था।

14– अभियोजन की ओर से अन्य मौखिक साक्षी मानप्रकाश पी डब्ल्यू 06 को परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सुसंगत दिनांक 08.07.2021 को स्वयं का

जयपुर में अस्पताल में ड्यूटी कर रहा होना व सुबह 07.00 बजे उसकी भांजी खुशबू द्वारा फोन करके बाबूलाल द्वारा उसकी मम्मी के घर पर आकर सिर फोड़ देना व उक्त सूचना पर स्वयं का दौसा आना तथा उसकी बहिन सुनीता का जिला अस्पताल दौसा में भर्ती होना जिसके सिर व शरीर पर कई जगह चोटें होना बताया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसने कोई झगड़ा नहीं देखा था।

15– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य साक्षी मदनलाल पी डब्ल्यू 03, आहता सुनीता पी डब्ल्यू 01 का पति है, ने अपनी साक्ष्य अपने भाई बाबूलाल का घर पर आकर गवाह की पत्नी सुनीता के साथ फूंकनी से मारपीट करना व उसे उसकी बेटी खुशबू द्वारा फोन पर घटना के बारे में बताना और अंकित व खुशबू द्वारा बीच बचाव कराया जाना एवं स्वयं का उस दिन जोधपुर में मजदूरी करना बताया है। गवाह ने आगे यह कथन किया है कि वह दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंचा तथा दौसा अस्पताल में उसकी पत्नी का ईलाज हुआ था। गवाह ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 दर्ज कराया जाना व चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 04 होना, जिसके सुसंगत स्थानों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

16– इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उक्त परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो आहता सुनीता पी डब्ल्यू 01, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण खुशबू पी डब्ल्यू 02, अंकित पी डब्ल्यू 05 ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुये अभियुक्त बाबूलाल द्वारा परिवादी के मकान में घुसकर सुनीता के साथ फूंकनी से मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है, उक्त साक्षीगण बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में तटस्थ रहे है, जिनकी साक्ष्य का खण्डन भी बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान नहीं कराया है।परीक्षित साक्षी मदनलाल पी डब्ल्यू 03 व पी डब्ल्यू 06 मानप्रकाश ने भी अपनी मौखिक साक्ष्य में अभियुक्त बाबूलाल द्वारा उसकी पत्नी सुनीता के साथ फूंकनी से मारपीट करने की अखण्डित साक्ष्य दी है। हालांकि उक्त दोनों साक्षीगण पी डब्ल्यू 03 मदनलाल व पी डब्लू 06 मानप्रकाश घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं रहे है, परन्तु परीक्षित साक्षीगण सुनीता पी डब्ल्यू 01, खुशबू पी डब्ल्यू 02, अंकित पी डब्ल्यू 05 द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त बाबूलाल द्वारा सुनीता के साथ घर में घुसकर मारपीट किये जाने की अखण्डित साक्ष्य दी है। इस प्रकार उपर्युक्त परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त बाबूलाल द्वारा परिवादी मदनलाल के घर पर मारपीट करने के आशय से आपराधिक गृह अतिचार कर परिवादी की पत्नी सुनीता को स्वेच्छा रोक सदोष अवरोध कारित करना व आहता सुनीता के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर परिवादी के साधारण उपहति कारित किया जाना प्रकट होता है।

Pulkit Sharma. R.J.S.
UID No. RJ01446
29.06.2026

17– इसके अतरिक्त आहता सुनीता के कारित चोटें मारपीट करने से कारित हुयी हो तो इस सम्बन्ध में चिकित्सकीय साक्षी गवाह पी डब्ल्यू 04 डॉ. मनोज की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मजरूबा सुनीता का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 की ताईद करते हुये मजरूबा के सिर, जांघ पर कारित चोटें सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित चोट होना बताया है। हालांकि उक्त गवाह अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को सही बताता है कि प्रदर्श पी 01 की चोटें कठोर धरातल पर गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, परन्तु आहता सुनीता के सख्त धरातल पर गिरने–पड़ने से कारित हुयी हो, ऐसा कोई कथन बचाव पक्ष का नहीं रहा है। परीक्षित साक्षीगण पी डब्ल्यू 01 सुनीता, पी डब्ल्यू 02 खुशबू, पी डब्ल्यू 03 मदनलाल, पी डब्ल्यू 05 अंकित कुमार, पी डब्ल्यू 06 मानप्रकाश की साक्ष्य से आहत उक्त के कारित चोटें अभियुक्त द्वारा सुनीता के साथ की गयी मारपीट के कारण कारित होना पूर्वोक्त विवेचन से प्रकट हुआ है, जिन चोटों की पुष्टि साक्षी पी डब्ल्यू 04 डॉ. मनोज ने अपनी साक्ष्य से की है। अभियुक्त की ओर से इसके खण्डन में भी कोई विशेष साक्ष्य भी पेश नहीं की है।

18– उक्त परीक्षित गवाहन की साक्ष्य की संपुष्टि अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 07 महादेव सिंह की साक्ष्य से होती है जिसने प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य की संपुष्टि करते हुये अनुसंधान कर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने की साक्ष्य देता है। गवाह पी डब्ल्यू 07 महादेव सिंह की साक्ष्य के मूल्यांकन से गवाह द्वारा प्रकरण में किये गये अनुसंधान से प्रकरण का झूठा व बनावटी होने का आभास नहीं देता है व गवाह द्वारा अनुसंधान के दौरान मूर्तिब फर्दात प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की संपुष्टि होती है।

19– इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.07.2021 को लगभग 07.00 ए एम बजे जब परिवादी मदनलाल की पत्नी सुनीता देवी अपने भगलाई गाँव स्थित घर पर थी तो आपने परिवादी मदनलाल के घर पर मारपीट करने के आशय से आपराधिक गृह अतिचार कर परिवादी की पत्नी सुनीता को स्वेच्छा रोक सदोष अवरोध कारित किया व सुनीता के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर परिवादी के साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त बाबूलाल पुत्र श्री जयनारायण उम्र 40 वर्ष निवासी–भगलाई, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान के विरूद्ध धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है।

20- अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अभियुक्त बाबूलाल पुत्र श्री जयनारायण उम्र 40 वर्ष निवासी-भगलाई, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध होने योग्य है।

आदेश

21- परिणामतः अभियुक्त बाबूलाल पुत्र श्री जयनारायण उम्र 40 वर्ष निवासी-भगलाई, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(पुलकित शर्मा)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय दौसा
जिला दौसा राजस्थान।

सजा के बिन्दु पर सुना गया

22- अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि वे 04 वर्षो से अधिक अवधी से अंवीक्षा भुगत रहा है। पत्रावली पर अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। अतः परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध कर अपराध की प्रवृति को देखते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23- मैंने उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दृष्टिगत है कि अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी पक्ष के साथ घर में घुसकर आपराधिक अतिचार कर मारपीट करने का गंभीर आरोप अवश्य है परन्तु अभियुक्त 04 वर्ष से भी अधिक समय से अंविक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त ने शपथ पत्र इस आशय का पेश किया है कि पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिया है व पूर्व में कभी दोषसिद्ध भी नहीं हुये है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली पर उक्त अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य होने के सम्बन्ध में दस्तावेज उपलब्ध है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर उसे प्रोबेशन का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

24- परिणामतः अभियुक्त बाबूलाल पुत्र श्री जयनारायण उम्र 40 वर्ष निवासी-भगलाई, पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा राजस्थान को आरोपित अपराध धारा 323, 341, 451 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करने के फलस्वरूप तुरन्त दण्डादेश से अध्यारोपित करने के स्थान पर उसे धारा 04 अपराधी परीविक्षा अधिनियम का लाभ इस

शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 06 माह की अवधि के लिये राशि दस हजार रूपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं के पृथक–पृथक बंध पत्र सदाचारी बना रहने, परिशान्ति बनाये रखने अपराध की पुनरावृत्ति नही करने व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्डादेश भुगतने हेतु उपस्थित होने की शर्त के साथ पेश कर तस्दीक कराये तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। साथ ही धारा 05 अपराधी परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियुक्त पर 2,000/–रूपये अक्षरे दो हजार रूपये अभियोजन व्यय के रूप में अध्यारोपित किया जाता है।

25– अभियुक्त के न्यायालय में पूर्व के उपस्थिति बाबत् जमानत मुलचके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि दस हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(पुलकित शर्मा)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय दौसा,
जिला दौसा राजस्थान

26– निर्णय आज दिनांक 29.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(पुलकित शर्मा)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय दौसा,
जिला दौसा राजस्थान

Pulkit Sharma. R.J.S.
UID No. RJ01446
29.06.2026